भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1116
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियां

1116. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि डिस्कॉम की नवीनतम उपभोक्ता सेवा रेटिंग रिपोर्ट में अनेक विद्युत वितरण कंपनियों ने प्रतिष्ठित ए+ रेटिंग हासिल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में काफी कमी आई है जो पहले 27 प्रतिशत थी और अब यह घटकर 15 प्रतिशत रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वितरण कंपनियों के घाटे में 12 प्रतिशत की कमी से समग्र घाटा 1,25,000 करोड़ रूपये से घटकर 50,000 करोड़ हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग को सक्षम बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय रूप से सुदृढ़ और प्रचालनात्मक रूप से मजबूत विद्युत क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्युत उपभोक्ता, विद्युत उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक होते हैं। उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सेवाओं में वृद्धि करने संबंधी अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के क्रम में, विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न शुरूआतें की हैं। विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 प्रख्यापित किए गए हैं जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति "सशक्त" बनाना है और साथ ही इसका उद्देश्य सेवा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना है जिनके लिए डिस्कॉमों द्वारा इन न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति का अधिकार, पारदर्शी बिलिंग और टैरिफ संबंधी जानकारी का अधिकार, समय पर और प्रभावी शिकायत निवारण का अधिकार और कार्य निष्पादन संबंधी मानकों को पूरा नहीं करने पर डिस्कॉम द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुआवजे का अधिकार शामिल है।

चूंकि विद्युत क्षेत्र का उद्देश्य उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करना एवं विश्वसनीयता प्राप्त करना है, अत: डिस्कॉमों के लिए अपने समग्र कार्य निष्पादन को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों, प्रमुख उपभोक्ता सेवाओं की पहचान करना और न्यूनतम मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है। माननीय विद्युत मंत्री द्वारा डिस्कॉमों की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई थी। इससे डिस्कॉमों को अपने कार्य निष्पादन का स्व-मूल्यांकन करने और अपने समकक्ष डिस्कॉमों और राष्ट्रीय औसत के साथ तुलना

करने में भी मदद मिली। यह अभ्यास उपभोक्ता सेवाओं के प्रमुख मापदंडों, नामतः प्रचालनात्मक विश्वसनीयता; कनेक्शन सेवाएँ; मीटरिंग, बिलिंग एवं संग्रहण सेवाएँ तथा दोष सुधार एवं शिकायत निवारण पर प्रकाश डालता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की डिस्कॉमों की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) रिपोर्ट के अनुसार, डिस्कॉमों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बेहतर ग्रेडिंग हासिल करने वाले डिस्कॉमों की संख्या में सुधार हुआ है। जबकि वर्ष 2022 के लिए, किसी भी डिस्कॉम को ए+ श्रेणी ग्रेड प्राप्त नहीं हुआ था, वर्ष 2023 में 4 डिस्कॉमों ने ए+ ग्रेड प्राप्त किया है और 8 डिस्कॉम ने ए श्रेणी प्राप्त की है, जिनके ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : भारत सरकार वित्तीय रूप से सुरक्षित, व्यवहार्य और संधारणीय विद्युत क्षेत्र (विशेष रूप से वितरण खंड) के उद्देश्य से विभिन्न कार्य निष्पादन संबद्ध और परिणाम उन्मुखी स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं। इन शुरूआतें को डिस्कॉमों और राज्य सरकारों में वांछित वित्तीय अनुशासन लाने के लिए वित्तीय और प्रचालनात्मक मुद्दों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उठाए गए कदमों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:

(i). राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी नियमावली।
(ii). यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ अद्यतित हैं।
(iii). समय पर ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना।
(iv). जेनकोज को समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करना।
(v). संशोधित विवेकपूर्ण मानदंडों में यह प्रावधान किया गया हैं कि घाटे में चल रहे डिस्कॉमों पीएफसी/आरईसी या भारत सरकार की किसी भी विद्युत क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत निधियों से ऋण नहीं ले पाएंगी, जब तक कि वे घाटे में कमी करने संबंधी उपाय नहीं करती हैं।
(vi). यदि डिस्कॉम हानि कम करने संबंधी उपाय करते हैं तो जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने का प्रोत्साहन देना।
(vii). डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य के अंतर्गत 1.85 लाख करोड़ रुपए के अवसंरचनात्मक कार्यों को निष्पादन किया गया।
(viii). इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से संधारणीय और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) प्रारंभ की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपए है।

राज्यों और डिस्कॉमों को निधि की स्वीकार्यता उनकी प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षताओं में सुधार के लिए कदम उठाने पर आधारित होगी।

सुधार संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्त वर्ष 2014-15 में 25.72% से घट कर वित्त वर्ष 2022-23 में 15.4% (अनंतिम) हो गई हैं। एटीएंडसी हानियों में कमी से यूटिलिटियों के वित्त में सुधार होता है, जो उन्हें प्रणाली को बेहतर बनाए रखने और आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत क्रय करने में सक्षम करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, एटीएंडसी हानियों में कमी के परिणामस्वरूप औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के बीच के अंतर में कमी आई है। एसीएस-एआरआर अंतर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 0.78 रुपए/किलोवाट से घट कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 0.45 रुपए/किलोवाट हो गया है। इस प्रकार, डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

लो.स.अता.प्र.सं. 1116

अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम का नाम	श्रेणी
1	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	ए+
2	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	ए+
3	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)	ए+
4	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल)	ए+
5	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीसीपीडीसीएल)	ए
6	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल)	ए
7	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल)	ए
8	महाराष्ट्र	अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल)	ए
9	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)	ए
10	तमिलनाडु	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनजेडको)	ए
11	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएनपीडीसीएल)	ए
12	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल)	ए

लो.स.अता.प्र.सं. 1116

अनुबंध-II

एटीएंडसी हानि (%)

	2014-15	2022-23
राज्य क्षेत्र	25.78	15.81
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-
आंध्र प्रदेश	10.55	8.57
अरुणाचल प्रदेश	67.83	57.59
असम	25.84	16.22
बिहार	43.99	25.01
छत्तीसगढ़	27.84	16.14
गोवा	13.31	11.85
गुजरात	16.06	10.65
हरियाणा	32.52	12.01
हिमाचल प्रदेश	16.84	10.59
जम्मू एवं कश्मीर (जेकेपीडीडी)	61.27	*
झारखंड	47.85	30.28
कर्नाटक	18.71	13.91
केरल	17.64	7.05
लद्दाख	-	30.33
मध्य प्रदेश	30.88	20.55
महाराष्ट्र (एमएसईडीसीएल और बीईएसटी)	19.25	18.58
मणिपुर	48.30	13.82
मेघालय	40.00	23.97
मिजोरम	33.51	26.27
नागालैंड	78.48	45.81
पुदुचेरी	13.34	17.49
पंजाब	17.20	11.26
राजस्थान	29.28	15.90
सिक्किम	42.37	36.69
तमिलनाडु	24.74	10.31
तेलंगाना	13.23	18.65
त्रिपुरा	36.23	28.15
उत्तर प्रदेश	46.32	22.33
उत्तराखंड	18.82	15.32
पश्चिम बंगाल	35.35	17.32
अन्य (एनएमडीसी और टीसीईडी)	-	10.28
निजी क्षेत्र	24.66	10.95
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (डीएनएचडीडीपीडीसीएल)	-	3.58
दिल्ली	12.90	7.12
महाराष्ट्र (एईएमएल तथा टीपीएमएल)	-	6.48
ओडिशा	38.30	21.85
उत्तर प्रदेश (एनपीसीएल)	-	8.36
पश्चिम बंगाल (सीईएससी तथा आईपीसीएल)	-	8.15
गुजरात (टीपी अहमदाबाद तथा सूरत)	-	4.02
कुल जोड़	25.72	15.40

एसीएस-एआरआर अंतर

(रूपये/केडब्ल्यूएच)

	2013-14	2022-23
राज्य क्षेत्र	**0.83**	**0.50**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
आंध्र प्रदेश	0.18	(0.37)
अरुणाचल प्रदेश	6.59	0.00
असम	1.00	0.62
बिहार	0.24	0.00
चण्डीगढ़		(3.59)
छत्तीसगढ़	0.28	0.26
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव		
गोवा	0.01	(0.14)
गुजरात	(0.02)	(0.02)
हरियाणा	0.75	(0.15)
हिमाचल प्रदेश	0.13	0.86
जम्मू एवं कश्मीर	2.66	
झारखंड	3.39	2.45
कर्नाटक	0.09	0.32
केरल	(0.05)	0.34
लद्दाख		2.18
लक्षद्वीप		
मध्य प्रदेश	1.25	(0.20)
महाराष्ट्र	0.12	1.24
मणिपुर	3.01	1.30
मेघालय	1.56	0.67
मिजोरम	4.00	1.71
नागालैंड	3.03	(0.32)
पुदुचेरी	(0.18)	0.39
पंजाब	(0.05)	0.20
राजस्थान	2.63	0.20
सिक्किम	(0.39)	(0.68)
तमिलनाडु	1.81	0.89
तेलंगाना	0.00	1.40
त्रिपुरा	0.78	0.60
उत्तर प्रदेश	2.16	1.19
उत्तराखंड	(0.27)	0.72
पश्चिम बंगाल	(0.01)	0.32
अन्य (एनएमडीसी और टीसीईडी)		0.85
निजी क्षेत्र	**(0.02)**	**(0.19)**
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (डीएनएचडीडीपीडीसीएल)		(0.14)
दिल्ली	(0.13)	(0.04)
महाराष्ट्र (एईएमएल तथा टीपीएमएल)		(0.04)
ओडिशा	0.15	(0.25)
उत्तर प्रदेश (एनपीसीएल)		(0.79)
पश्चिम बंगाल (सीईएससी तथा आईपीसीएल)		(0.18)
गुजरात (टीपी अहमदाबाद तथा सूरत)		(0.50)
कुल जोड़	**0.78**	**0.45**

****